राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, 22 फरवरी, 2019

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 67) की धारा 9ख, धारा 15 की उप–धारा (4) और धारा 15क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास नियम, 2016 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– (1) इन नियमों का नाम जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 का संशोधन.– राजस्थान जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास नियम, 2016, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 के उप–नियम (1) में,–

(i) खण्ड (viii) में, विद्यमान विराम चिह्न " ; " के पश्चात् अभिव्यक्ति "और" जोड़ी जायेगी;

(ii) खण्ड (ix) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "; और" के स्थान पर विराम चिह्न "।" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(iii) विद्यमान खण्ड (x) हटाया जायेगा।

3. नियम 3 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जिला परिषद्" के स्थान पर अभिव्यक्ति "जिला मजिस्ट्रेट" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. नियम 5 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 5 के उप–नियम (1) के नीचे आयी सारणी में,–

(i) क्रम संख्यांक (i) के सामने स्तंभ संख्यांक 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''जिला प्रमुख'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''जिला मजिस्ट्रेट'' प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान क्रम संख्यांक (ii) और उसकी प्रविष्टियां हटायी जायेगी।

5. नियम 9 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 9 में, विद्यमान उप–नियम (2क) हटाया जायेगा।

6. नियम 15 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 15 के उप–नियम (3) के खण्ड (II) के उप–खण्ड (ग) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''निम्नलिखित राज्य स्तरीय सशक्त समिति ऊपर उल्लिखित प्रयोजन के संबंध में विनिश्चय लेगी :–

(क) मुख्य सचिव

(ख) प्रमुख सचिव, खान तथा पेट्रोलियम

(ग) सचिव, वन

(घ) सचिव, सा.नि.वि.

(ङ.) सचिव, सामाजिक न्याय और कल्याण

(च) सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

(छ) निदेशक, खान एवं भूविज्ञान

(ज) वित्तीय सलाहकार, खान एवं भूविज्ञान

(झ) अतिरिक्त निदेशक (पर्यावरण एवं विकास), खान एवं भूविज्ञान

(ञ) अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय खान एवं भूविज्ञान'', के स्थान पर अभिव्यक्ति ''निम्नलिखित राज्य स्तरीय सशक्त समिति ऊपर उल्लिखित प्रयोजन के संबंध में विनिश्चय लेगी :–

(क)	खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान का प्रभारी मंत्री	अध्यक्ष
(ख)	वन एवं पर्यावरण विभाग का प्रभारी मंत्री	उपाध्यक्ष
(ग)	खान एवं पेट्रोलियम विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
(घ)	वन विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
(ङ)	सार्वजनिक निर्माण विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य

(च)	जल संसाधन विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
(छ)	जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
(ज)	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
(झ)	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
(ञ)	तकनीकी एवं उच्च शिक्षा विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
(ट)	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
(ठ)	निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग	सदस्य
(ड)	वित्तीय सलाहकार, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग	सदस्य
(ढ)	अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित कोई भी अन्य अधिकारी	–
(ण)	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग	सदस्य–सचिव''

प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. नियम 18 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 18 में,–

(i) उप–नियम (3) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''जिला परिषद्, जिला प्रशासन'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) उप–नियम (4) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''जिला परिषद् और जिला प्रशासन'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय'' प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii) उप–नियम (5) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''जिला परिषद्, जिला प्रशासन'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

सं. प. 14(6)खान/ग्रुप–2/2015
राज्यपाल के आदेश से

(डॉ. बी.डी. कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव